| आदेश का क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |

9.12.16

## न्यायालय अपर समाहर्त्ता, अररिया

नामान्तरण पुनरीक्षण वाद सं0 – 01/2013–14

श्री फनेश्वर ठाकुर, पिता–स्व0 वादर ठाकुर, सा0–औराही, थाना–सिमराहा, प्रखण्ड–फारबिसगंज, जिला–अररिया – प्रथम पक्ष

**बनाम**

श्री गुलाबचंद ठाकुर व ग्यानचंद ठाकुर, पिता–वासो ठाकुर, सा0–औराही, थाना–सिमराहा, प्रखण्ड–फारबिसगंज, जिला–अररिया

## आदेश

प्रस्तुत नामान्तरण पुनरीक्षण वाद आवेदक फनेश्वर ठाकुर, पिता–स्व0 वादर ठाकुर, सा0–औराही, थाना–सिमराहा, जिला–अररिया की ओर से नामान्तरण अपील वाद सं0 45/2011–12 में विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज के पारित आदेश दिनांक 14.12.2012 से विक्षुब्ध होकर समाहर्त्ता, अररिया के न्यायालय में दिनांक 08.04.2013 को दाखिल किया गया। जिसे समाहर्त्ता, अररिया द्वारा दिनांक 04.07.2014 को विचारार्थ स्वीकृत करते हुए विधिवत निष्पादन हेतु दिनांक 21.08.2015 को इस न्यायालय को हस्तांतरित किया गया। ततपश्चात् प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि प्रशाखा, अररिया के पत्रांक 1320/विधि, दिनांक 11.09.2015 द्वारा हस्तांतरित होकर अभिलेख इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

**वादग्रस्त भूमि का विवरण**

| मौजा | थाना नं0 | खाता | खेसरा | कुल रकवा |
|---|---|---|---|---|
| औराही अंचल–फारबिसगंज | 23 | 35 | 5925 | 79 डी0 |

पक्षकारों की ओर से प्रतिउत्तर दाखिल होने के पश्चात् अभिलेख को सुनवाई हेतु विनिश्चित किया गया। किन्तु बार–बार मौका दिये जाने के बावजूद भी प्रथम पक्ष (पुनरीक्षणकर्त्ता) द्वारा सुनवाई में भाग नहीं लिया गया। ततपश्चात् द्वितीय पक्ष की एक पक्षीय सुनवाई की गई।

द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नगत भूमि का आर0एस0 खतियान अधोरी ठाकुर, पिता–अमृत ठाकुर के नाम से दर्ज है। खतियानी रैयत अपने पीछे पत्नी पतरी देवी तथा दो बहन को छोड़कर मृत हुये। उनकी पहली बहन के दो पुत्र बादर ठाकुर एवं फुलेश्वर ठाकुर हुए। जिन्होंने प्रश्नगत भूमि के साथ–साथ अन्य भूमि संझा देवी को बिक्री कर दी गई। पुनः शंझा देवी द्वारा प्रश्नगत भूमि बजरिये

निबंधित दस्तावेज सं0 2367, दिनांक 14.12.1977 द्वारा विपक्षी के पिता बासो ठाकुर के हाथ बिक्री कर दी गई। किन्तु उक्त केवाला का दाखिल–खारिज उनके द्वारा नहीं कराया गया। वासो ठाकुर के वारिशानों (विपक्षीगण) द्वारा जब उक्त केवाला का दाखिल–खारिज हेतु अंचल में आवेदन दाखिल किया गया। जिसका दाखिल–खारिज वाद सं0 3480/2011–12 प्रारम्भ हुआ। हल्का कर्मचारी के द्वारा जमाबंदी में 42 डी0 शेष भूमि बची होने का प्रतिवेदन समर्पित किये जाने के बावजूद भी जमाबंदी में 42 डी0 बची होने के बावजूद भी विज्ञ अंचलाधिकारी, फारबिसगंज द्वारा उनके नामान्तरण दावे को दिनांक 14.12.2012 को खारिज कर दिया गया। जिसके विरूद्ध विपक्षीगण द्वारा विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज के न्यायालय में अपील वाद सं0 45/2011–12 दाखिल किया गया। जिसमें विज्ञ अंचलाधिकारी, फारबिसगंज के पारित आदेश दिनांक 14.12.2012 को निरस्त करते हुए विपक्षी के नामान्तरण दावे को स्वीकृत किया गया है, जो न्यायपूर्ण हैं।

आवेदक द्वारा विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज के पारित आदेश के विरूद्ध जो पुनरीक्षण वाद दाखिल किया गया है, उसमें उनके द्वारा खेसरा सं0 5925, रकवा 41 डी0 का दावा निबंधित दस्तावेज सं0 5352, दिनांक 25.04.1981 द्वारा किया जा रहा है। जबकि उक्त केवाला में खाता सं0 37 खेसरा सं0 5700 दर्ज है। अपीलार्थीगण का ये दावा है कि उन्हें जब प्रश्नगत भूमि के केवाला में गलत इन्द्राज हो जाने की जानकारी प्राप्त हुई तो खेसरा सुधार हेतु उनके द्वारा स्वत्व वाद सं0 139/2011 दायर किया गया, जो विचाराधीन है और स्वत्व के लंबित रहते विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज द्वारा उनके नामान्तरण दावे को खारिज करते हुए विपक्षी के नामान्तरण दावे को स्वीकृत किया गया है। यह आदेश न्याय संगत नहीं है। वास्तिवकता यह है कि उक्त स्वत्व वाद दिनांक 11.07.2013 को खारिज हो चुका है। इस प्रकार विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज का पारित आदेश विधि सम्मत है। जिसे बहाल रखते हुए आवेदक के पुनरीक्षण दावे को खारिज करने का अनुरोध करते हैं।

पुनरीक्षणकर्त्ता के सुनवाई में भाग नहीं लेने के कारण उनका पक्ष नहीं सुना जा सका किन्तु अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्यों, निम्न न्यायालय के पारित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि के खतियानी रैयत अधोरी ठाकुर थे, जिनके वारिशानों द्वारा प्रश्नगत भूमि संझा देवी को बिक्री की गई और संझा देवी से विपक्षी के पिता वासो ठाकुर द्वारा प्रश्नगत भूमि बजरिये निबंधित दस्तावेज सं0 2367, दिनांक 14.12.1977 ई0 में क्रय की गई थी। किन्तु प्रश्नगत भूमि का दाखिल–खारिज उनके द्वारा नहीं कराया गया था। वर्ष 2011–12 में उनके वारिशानों द्वारा नामान्तरण हेतु आवेदन दाखिल किया गया तो जमाबंदी में 42 डी0 भूमि बची रहने के बावजूद भी विज्ञ अंचलाधिकारी, फारबिसगंज द्वारा उनके नामान्तरण दावे को अस्वीकृत कर दिया गया।

वर्ष 1981 में प्रश्नगत भूमि से रकवा 41 डी0 भूमि पुनरीक्षणकर्त्ता द्वारा बजरिये निबंधित दस्तावेज सं0 5352, दिनांक 25.04.1981 द्वारा क्रय किया गया। किन्तु उक्त निबंधित दस्तावेज में खेसरा 5925 की जगह 5700 गलत इन्द्राज हो जाने के कारण पुनरीक्षणकर्त्ता द्वारा मान्नीय मुंसफ न्यायालय, अररिया में स्वत्व वाद सं0 139/2011 दाखिल किया गया था, जो न्यायालय द्वारा दिनांक 11.07.2013 को खारिज किया जा चुका है। अतएव पुनरीक्षणकर्त्ता का दावा निर्वाहन योग्य नहीं है और विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज के पारित आदेश दिनांक 14.12.2012 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होता है।

अतएव विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज के पारित आदेश दिनांक 14.12.2012 को विधि सम्मत पाते हुए उसे बहाल रखा जाता है तथा पुनरीक्षणकर्त्ता के आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है। पारित आदेश की प्रति एवं निम्न न्यायालय का अभिलेख विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज एवं अंचलाधिकारी, फारबिसगंज को अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु भेंजे।

लेखापित एवं संसोधित

ह0/—
अपर समाहर्त्ता
अररिया

ह0/—
अपर समाहर्त्ता
अररिया

ज्ञापांक 137 /रा0(न्या0), अररिया, दिनांक 09/12/2016

प्रतिलिपि : भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज को नामान्तरण अपील वाद सं0 45/2011–12 मूल के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अनुलग्नक : ना0 अपील वाद सं0 45/2011–12 मूल में।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, फारबिसगंज को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

9/12/16
अपर समाहर्त्ता
अररिया